



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25052023-246053
CG-DL-E-25052023-246053

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 314]
No. 314]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 25, 2023/ज्येष्ठ 4, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 25, 2023/JYAISHTHA 4, 1945

गृह मंत्रालय
(आंतरिक सुरक्षा-I प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2023

सा.का.नि. 388(अ).—केंद्रीय सरकार विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम, 1988 (1988 का 34) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विशेष संरक्षा ग्रुप नियम 2023 है।
(2) ये नियम इनके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषा—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-
(क) “अधिनियम” से विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम, 1988 (1988 का 34) है;
(ख) “ग्रुप” से इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन गठित विशेष संरक्षा ग्रुप है;
(ग) “विहित प्राधिकारी” से इन नियमों के नियम 6 में यथापरिभाषित प्राधिकारी अभिप्रेत है;
(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ है जो क्रमशः अधिनियम में हैं।
- विशेष संरक्षा ग्रुप का गठन — केंद्रीय सरकार द्वारा एक दल का गठन किया जाए जिसमें निम्नलिखित अधिकारी शामिल होंगे, अर्थात:-

(क) निदेशक, जिसे भारत सरकार द्वारा भारतीय पुलिस सेवा से नियुक्त किया जाएगा, जो अपर पुलिस महानिदेशक के पद से कम के स्तर का नहीं होगा; और

(ख) ग्रुप के सदस्यों की ऐसी संख्या जो अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन उल्लिखित हैं।

4. **मुख्यालय** – ग्रुप का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित होगा।

5. **नियुक्ति की रीति और सेवा शर्तें** – (क) केंद्रीय सरकार द्वारा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को इस दल में प्रतिनियुक्ति पर उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा जो केंद्रीय सरकार में तत्स्थानी पंक्ति के अधिकारी पर लागू होंगी।

(ख) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के सिवाय ग्रुप के अन्य सदस्यों की नियुक्ति छः वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर की जाएगी।

(ग) दूसरी सेवा अवधि के लिए नियुक्ति, कारणों को लेखबद्ध करते हुए केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से की जा सकेगी।

6. **ग्रुप की कमान, पर्यवेक्षण, प्रशिक्षण, अनुशासन और प्रशासन** – ग्रुप के सामान्य अधीक्षण, निदेशन, कमान और नियंत्रण, पर्यवेक्षण, प्रशिक्षण, अनुशासन और प्रशासन का अधिकार निदेशक के पास होगा।

7. **निदेशक के शक्तियां और कार्य** – ग्रुप का निदेशक इसका कार्यात्मक प्रमुख होगा और केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त सौंपे गए किन्हीं अन्य कर्तव्यों, आदेशों और अनुदेशों के सिवाए अधिनियम में सौंपे गए कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

8. **विशेष संरक्षा ग्रुप के निदेशक अथवा सदस्य को सहायता प्रदान करना** – विशेष संरक्षा ग्रुप के निदेशक अथवा सदस्य को इस अधिनियम की धारा 14 के उपबंधों के निबंधनों के अनुसार सहायता प्रदान करने की रीति केंद्रीय सरकार द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्दिष्ट की जाएगी।

[फा. सं. VI-23014/218/2022-VS]

अनिल सुब्रमण्यम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Internal Security-I Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2023

G.S.R 388(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Special Protection Group Act, 1988 (34 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules, namely :-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Special Protection Group Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definition** – (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) “Act” means the Special Protection Group Act 1988 (34 of 1988);

(b) “Group” means the Special Protection Group constituted under section 4 of the Act;

(c) “Prescribed authority” means the authority as defined in the rule 6 of these rules;

(2) Words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Constitution of the Special Protection Group.** – The Central Government may constitute a Group which may consist of the following officials, namely :-

(a) a Director who shall be appointed by the Central Government at a level of not less than the Additional Director General of police from the Indian Police Service; and

(b) such number of members of the Group as mentioned under sub-section (2) of section 5 of the Act.

4. **Headquarter.** – The headquarter of the Group shall be at New Delhi.
5. **Manner of appointment and terms of service.** – (a) The officers of All India Services shall be appointed to the Group on deputation by the Central Government on the same terms and conditions as applicable to the officer of the corresponding rank in the Central Government.
- (b) Other members of the Group except All India Services officers shall be appointed on deputation for an initial period of six years.
- (c) The appointment for second tenure may be done with the prior approval of the Central Government for reasons to be recorded.
5. **Command, supervision, training, discipline and administration of the Group.**– The general superintendence, direction, command and control, supervision, training, discipline and administration of the Group shall vest in the Director.
6. **Powers and functions of the Director.** –The Director of the Group shall be the functional head and responsible for the implementation of the duties assigned in the Act besides any other duties, orders and instructions assigned in this behalf by the Central Government.
7. **Providing assistance to Director or Member of Special Protection Group.**–The manner of providing assistance to the Director or member of Special Protection Group in terms of provisions contained in Section 14 of the Act shall be specified by the Central Government through standard operating procedures.

[F. No. VI-23014/218/2022-VS]

ANIL SUBRAMANIAM, Jt. Secy.